

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 74/2021

दायर दिनांक 26.03.2021

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. मदीना बानो पत्नि रज्जाक खान उम्र 31 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. आमीन खां पुत्र स्व0 फरीद खां उम्र 55 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादीनी।
2. श्री तेजपाल राठी वकील प्रतिवादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 16.07.2021

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सुद्रासन, पटवारी हल्का सुद्रासन, भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र नूवां के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. बारानी उत्तम मौजा सरहद सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार व काबिज काश्तकार है।

यह है कि वादीनी के ससुर ताजु खां पुत्र फरीद खां जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन ने मुझ वादीनी के नाम एक दान पत्र दिनांक 08.10.2018 को पंजीबद्ध करवाया था। जिसका नामान्तरण संख्या 1584/07.01.2019 को दर्ज किया गया उक्त नामान्तरण संख्या में दान पत्र के अनुसार वादीनी के ससुर के नाम केवल मात्र 01 बीघा भूमि हिस्से में आई हुई थी तथा 01 बीघा भूमि वादीनी के ससुर के सगे भाई आमीन खां पुत्र फरीद खां के नाम खातेदारी में आई हुई है।

यह है कि वादीनी के ससुर व काके ससुर अमीन खां पुत्र फरीद खां दोनो ने उक्त 02 बीघा भूमि अर्थात 0.3200 हैक्ट. भूमि लगभग 24 वर्ष पहले उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान से जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी दोनो भाईयों के सामलाति दर्ज रहने से उक्त भूमि का बंटवारा मौखिक रूप से कर रखा है जिस पर वो वर्तमान में काबिज काश्तकार है वादीनी के ससुर द्वारा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का दान पत्र करवा दिये जाने उपरान्त वर्तमान खातेदारी में आमीन खां पुत्र फरीद खां का नाम भी सामलाति खातेदारी भूमि में दर्ज है जिसको वादीनी अलग करवाना चाहती है।

यह है कि मौजा सुद्रासन मके खसरा संख्या 1273/1027 वादीनी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सामलाति दर्ज है जिसका वादीनी व प्रतिवादी के मध्य मौखिक बंटवारा 1/2 - 1/2 अर्थात 0.1600-0.1600 हो चुका है एवं मौके पर सीवे-निवे कायम है लेकिन



**सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)**

वादीनी व प्रतिवादी के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा लाजमी आया है।

वादीनी मदीना बानो पत्नि रज्जाक खां के बंट व हिस्से की भूमि - खसरा नम्बर 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. में 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 0.1600 हैक्ट. पश्चिमी तरफ की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
प्रतिवादी संख्या 1 आमीन खां पुत्र फरीद खां के बंट व हिस्से की भूमि :- खसरा नम्बर 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. में 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 0.1600 हैक्ट. पश्चिमी तरफ की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

प्रार्थना वादीनी निम्न प्रकार है -

यह है कि मौजा सुद्रासन के खेत खसरा सं० 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संयुक्त खातेदार है उपरोक्त नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के द्वारा किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावें, पटवारी हल्का द्वारा जारी ट्रेस नक्शे में दर्शित की गई है उसे पूर्वी-पश्चिमी तरफ की घोषित की जावे और इसी अनुरूप 0.1600 हैक्टे० पूर्वी तरफ तथा 0.1600 हैक्टे. पश्चिमी तरफ की तरमीम की जावें।

यह है कि उक्त राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौजा सुद्रासन के खेत खसरा 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 0.1600 हैक्ट. पश्चिमी तरफ की भूमि व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 0.1600 हैक्ट. पश्चिमी तरफ की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार सभी पक्षकारान ने आपसी सहमति व स्वेच्छा से उक्त राजीनामा किया है।

रेकॉर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकॉर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा जरिये राजीनामा स्वीकार कर वाके सरहद सुद्रासन के खसरा सं. 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. की खातेदारी वाद में पेश राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)

सहायक.एस.के.लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

(कार्तिकेय मीणा)

सहायक.एस.के.लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाव्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 74/2021

दायर दिनांक 26.03.2021

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. मदीना बानो पत्नि रज्जाक खान उम्र 31 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. आमीन खां पुत्र स्व0 फरीद खां उम्र 55 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज.।

दावा बाबत
घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती एवं रेकर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 16.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री पूरणसिंह बोहरा वकील वादीनी व श्री तेजपाल राठी वकील प्रतिवादी की ओर से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, जरिये राजीनामा दावा स्वीकार कर वाके सरहद सुद्रासन के खसरा सं. 1273/1027 रकबा 0.3200 हैक्ट. की खातेदारी वाद में पेश राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग-अलग खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.07.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)